

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर  
परिवाद संख्या 53/2014

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री नन्दलाल अहलानी पुत्र श्री खेमचन्द अहलानी मैसर्स- खेमचन्द खुबचन्द  
मैन चौराहा, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर।
2. दी राजस्थान इण्डस्ट्रीयल गैसेज लि0 डी- 55 लक्ष्मण मार्ग हनुमान नगर, डी  
ब्लॉक आम्रपाली सर्कल के पास, वैशालीनगर, जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा  
26 की उप धारा (2) (1) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री बी. एस. शेखावत वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

—: आदेश :-

दिनांक- 22.06.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड सरसो का तेल विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.03.2014 को 2.00 पीएम बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स- खेमचन्द खुबचन्द मैन चौराहा, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर पर पहुँचे, मौके पर श्री नन्दलाल अहलानी पुत्र श्री खेमचन्द अहलानी उपस्थित मिले जो आम जनता को घी, तेल, मसालें आदि का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान सरसो के तेल में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जाँच हेतु सरसों के तेल की 500-500 ग्राम की चार बोतलें पैक अवस्था में वास्ते नमूना जाँच हेतु 232/- रूपयें श्री नन्दलाल अहलानी पुत्र श्री खेमचन्द अहलानी को नगद देकर गवाह रमेश चन्द सैनी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री नन्दलाल अहलानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा सरसों के तेल की बोतलों को नियमानुसार पैक करने के पश्चात बोतलों पर लेबल लगाकर डीओ के कोड क्रमांक एजे-515 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक अजो/एफएसएसए 2006/14/3247 दिनांक 26.03.2014 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस./76/एफएसएसए/2014/80 दिनांक 25.03.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया सरसो का तेल मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 18.07.2014 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 18.07.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री नन्दलाल अहलानी व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 03.09.2014 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने के कारण प्रकरण से उनका नाम तर्क किया गया।

नियत पेशी दिनांक 03.09.2014 को अप्रार्थी श्री नन्दलाल अहलानी जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी अभियुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि अप्रार्थी द्वारा तेल में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी छोटा व्यवसाई है भविष्य में किसी प्रकार की गलती नहीं की जाएगी। चूकिं परिवाद के अप्रार्थी अभियुक्त श्री नन्दलाल अहलानी न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया सरसो का तेल मिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री नन्दलाल अहलानी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में मिथ्याछाप पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री नन्दलाल अहलानी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी अभियुक्त ने उन पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री नन्दलाल अहलानी को रु. 5000/- (अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 22.06.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.06.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(किशोर कुमार)

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर  
दिनांक : 24.6.14

क्रमांक : सरिस्ता/अपर/2016/2512-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर।
- 3- श्री नन्दलाल अहलानी पुत्र श्री खेमचन्द अहलानी, मैसर्स- खेमचन्द खुबचन्द मैन चौराहा, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर।

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर